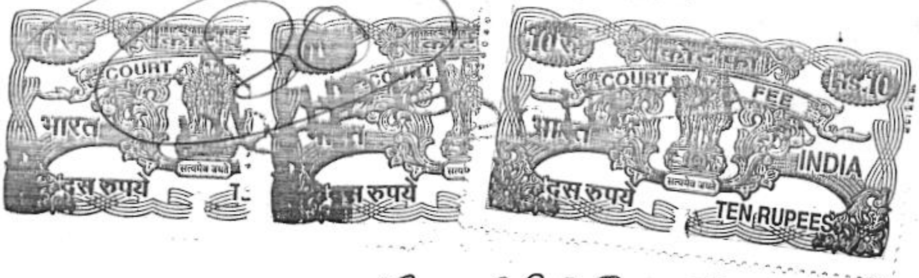

R. 2258-I-16

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2016 पुनरीक्षण

1. जशरथसिंह यादव पुत्र श्री मजबूतसिंह यादव
2. मनोहरसिंह यादव पुत्र श्री जशरथसिंह यादव
3. लालसिंह यादव पुत्र श्री जशरथसिंह यादव समस्त निवासीगण- पुष्पा स्कूल के पास, टीकमगढ़, तहसील व जिला टीकमगढ़, म0प्र0

---आवेदकगण

बनाम

1. लखनलाल सोनी पुत्र स्व0 श्री किशोरीलाल सोनी उम्र- 55 वर्ष, निवासी- हिमांचल की गली, टीकमगढ़, म0प्र0
2. गोवर्धन सोनी पुत्र स्व0 श्री किशोरीलाल सोनी उम्र- 60 वर्ष, निवासी- जेल के सामने, टीकमगढ़, म0प्र0
3. डॉ0 सुरेशचन्द्र जैन पुत्र श्री सूरजमल जैन आयु- 64 वर्ष निवासी- कटरा बाजार, सराफा बाजार टीकमगढ़ [illegible]

4. नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी आयु- 60 वर्ष निवासी-कटरा बाजार टीकमगढ़, म0प्र0
5. पुष्पादेवी पत्नी श्री रामसिंह यादव आयु- 65 वर्ष निवासिनी सीपरी बाजार, झॉसी, उ0प्र0--**अनावेदकगण**

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 27/06/2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़, म0प्र0 के **प्रकरण** क्रमांक 190/अपील/2012-13 व उनवान लखनलाल आदि बनाम पुष्पादेवी आदि ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण याचिका निम्नप्रकार प्रस्तुत हैः-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, अधीनस्थ तहसील न्यायालय तहसीलदार टीकमगढ़ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण क्रमांक 150/अ-6/1987-88 में अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 04/06/2013 को आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध अनावेदकगण लखनलाल आदि द्वारा अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 190/अपील/2012-13 व उनवान

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–2258–एक / 2016 जिला–टीकमगढ़

जशरथसिंह यादव आदि विरूद्ध लखनलाल सोनी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
06–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव एवं अनावेदक की ओर से श्री विनोद श्रीवास्तव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, जिला–टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 190 / अपील / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 27–06–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला– टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 03–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 6/3/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	